

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका ।

विविध वाद सं० -45/2023

धारा- 145 द०प्र०सं०


रुकमनी कुर्वर बनाम भोला राम

आदेश

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
10/11/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>वाद की कार्रवाई में उभय पक्ष उपस्थित है। दोनों पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद की कार्रवाई ग्राम रमकण्डा के खाता सं०- 297 नया खाता सं०- 765 प्लॉट 1312/04 नया प्लॉट सं०- 1846 रकबा- 0.65 ए० पर इस वाद की कार्यवाई चल रही है। इनके अनुसार ग्राम रमकण्डा के खाता सं०- 297 प्लॉट सं०- 1312/04 गत कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में गैरमजरूआ भूमि दर्ज है, जो बिहार भू-दान कमिटी द्वारा दिनांक 30.11.1966 को देवी भुईया के नाम से खाता सं०- 297 प्लॉट सं०- 1312/04 रकबा- 2.28 ए० दान किया गया है। देवी भुईया के पुत्र नान्हू भुईया हक दखल कब्जे में आए जो अंचल रमकण्डा के पत्रांक 144 दिनांक 04.05.2022 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाता सं०- 765 प्लॉट सं०- 1846 रकबा- 0.65 ए० अनाबाद सरकार के नामे खाता बना है एवं अवैध दखल नान्हू भुईया दर्ज है। जो प्रथम पक्ष के ससुर है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी एवं श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बिहारी राम वगैरह पर रोक लगाने के बावजूद न्यायालय के आदेश के विपरीत प्रथम पक्ष की भूमि पर बाजबरजस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रथम पक्ष द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी के समक्ष धरना देकर अपनी भूमि की रक्षा की गुहार लगाई गई। द्वितीय पक्ष बिहारी राम वगैरह द्वारा बाजबरजस्ती पुराना खाता सं०- 297 नया खाता सं०- 765 पुराना प्लॉट सं०- 1312/04 नया प्लॉट सं०- 1846 रकबा- 0.65 ए० पर दावी कर रहे है जो गलत है। प्रथम पक्ष का कथन है कि वाद की कर्रवाई को धारा 145 द०प्र०सं० में परिवर्तित कर गवाही लेने की कृपा किया जाय। ताकि स्थाई समाधान हो सके।</p> <p>द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रथम पक्ष जिस वाद में वर्णित भूमि पर दावा कर रही है वो उसका कभी नहीं रहा है। वर्तमान में इस वाद की कार्रवाई ग्राम- रमकण्डा के खाता सं०- 297/765 प्लॉट सं०- 1312/1846 रकबा- 0.65 ए० पर द्वितीय पक्ष भोला राम वगैरह का शांतिपूर्ण दख कब्जा है एवं इसमें से 0.10 ए० भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान अवस्थित है। यह भूमि जो पुराना खाता सं०- 297 पुराना प्लॉट सं०- 1312 है। एम० रोल से बनारसी चमार के नामे वाद सं०- 06/1962-1963 द्वारा प्राप्त हुआ है। यह भूमि हाल सर्वे में खाता सं०- 765 प्लॉट सं०- 1846 रकबा- 0.65 ए० के अन्तर्गत दर्ज</p>	

हुआ है। पुराना खाता प्लॉट के अनुसार 1 ए० का मांग जगु मोची वगैरह के नामें मांग पंजी के पृष्ठ सं०- 25/4 पर ऑनलाईन चलते आया है। जगु मोची वगैरह द्वारा निबंधित केवाला द्वारा श्रीमति विफनी देवी पति जुगेश्वर राम के नामें निबंधित केवाला द्वारा 0.16 एवं 0.16 कुल 0.32 ए० प्लॉट सं०- 1312 में रजिस्ट्री से बिकी कर दिया। विफनी देवी ने शिव मोची, शंकर, भोला मोची, महादेव मोची को दिनांक 20.06.2014 को निबंधित शपथ पत्र वाजी दावा किया जिसके द्वारा प्लॉअ सं०- 1312 में 0.16 ए० तथा 0.16 ए० कुल 0.32 ए० द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा। सेटलमेंट केश नं०- 108/1996-1997 द्वारा 3.28 ए० भूमि शिव राम, भोला राम वगैरह को प्राप्त हुआ जिसका मांग दर्ज हुआ। इस प्लॉट 1312 जो प्रश्नगत प्लॉअ है में इस से सेटलमेंट से कुल 0.62 ए० भूमि द्वितीय पक्ष का इस वाद भूमि में मालगुजारी रसीद कटता है। लेकिन कब्जा सम्पूर्ण 0.65 ए० पर है। इसका कथन है कि विविध वाद सं०- 199/2022 में दिनांक 12.11.2022 के आदेश में 0.10 ए० भोला राम का घर है वह इनका है का आदेश अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय से ही है। साथ ही भू-दान द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि रूकमिनी देवी ने भू-दान द्वारा पर्चा में जो 5 सर्तें अंकित में से किसी का पालन नहीं किया। इसलिए जमीन पुनः दुसरे रैयत को देने के लिए भू-दान स्वतंत्र है। लगान निर्धारण हेतु रूकमिनी देवी वाद लायी थी। जो वाद सं०- 01/2020-21 त्रुटिनिराकरण हेतु अंचल रमकण्डा द्वारा पत्रांक 07 दिनांक 11.01.2021 का जॉच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रूकमिनी देवी का स्थल पर दखल कब्जा नहीं है। इनके द्वारा वाद को वृहत सुनवाई हेतु रखने के अनुरोध किया गया है।

सभी बिन्दुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायालय इस वाद को धारा 145 द०प्र०सं० में परिवर्तित करती है। दोनों पक्ष को नोटिस निर्गत करें अपना-अपना पक्ष एवं गवाह प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। अभिलेख दिनांक 13/12/23 को प्रस्तुत करें।


10/11/23
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।